सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फ़ाइल संख्या.20-19016/37/2020-प्रशिक्षण-नौमनि

दिनांक:12.01.2021

नौमनि आदेश संख्या 2021 का 3

विषय: दिनांक 03.07.2020 के नौमनि आदेश संख्या 1/2020 का संशोधन-II-संबंधी

1. जबकि, निदेशालय ने दिनांक 30.01.2020 को "कक्षाओं में उपस्थित हुए बिना समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों से झूठा या जाली प्रमाणपत्र प्राप्त उम्मीदवारों हेतु एक-बार माफ़ी योजना" विषय पर नौमनि आदेश संख्या 2020 का 1 जारी किया था.
2. जबकि उक्त नौमनि आदेश का अनुच्छेद 11(d) कहता है कि: " वह उम्मीदवार जिन्होने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम फिर से नहीं किया है, वे 1 फरवरी, 2020 से 6 महीनों के भीतर कर सकते हैं और उनके ई-माइग्रन्ट सुविधा के बहाली हेतु आवेदन दे सकते हैं और उक्त की बहाली 10 दिन के भीतर कर दी जाएगी."
3. जबकि उक्त नौमनि आदेश संख्या का अनुच्छेद 11(e) कहता है कि- "कोई भी अन्य समुद्रकर्मी जो गलत तरीके से प्राप्त प्रमाणपत्र निदेशालय को वापस करना चाहता हो, वह दिनांक 31 जुलाई 2020 तक बिना किसी रोक का सामना करते हुए पाठ्यक्रम को दोहरा सकता है. यह सुविधा 31 जुलाई 2020 के बाद उपलब्ध नहीं होगी और इस दिनांक के पश्चात वापस किए गए प्रमाणपत्र के कारण वापो(सीडीसी-सह-एसआईडी) नियम के अनुसरण में रोक लगाया जाएगा"
4. जबकि दिनांक 03.07.2020 के नौमनि आदेश संख्या 1/2020 के संशोधन-I के माध्यम से पाठ्यक्रम फिर से करने और ई- माइग्रन्ट सुविधा की बहाली की अंतिम तिथि 31.12.2020 से 31.07.2020 तक बढ़ाई गई थी.
5. जबकि ऐसे उम्मीदवारों से निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा न कर पाने और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम फिर से करने की अवधि के विस्तार के संबंध में कई निवेदन प्राप्त हुए थे.
6. जबकि जारी कोविड-19 महामारी के कारण सभी समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान अस्थायी रूप से बंद कर दिये गए हैं और उक्त नौमनि आदेश में दी गयी आवश्यकता अनुसार निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उम्मीदवारों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम फिर से करना संभव नहीं है.
7. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, निदेशालय ने दिनांक 30.01.2020 के नौमनि आदेश संख्या 1/2020 और दिनांक 03.07.2020 के उसके संशोधन-I की समीक्षा की है और यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश की अनुपालना हेतु समय सीमा को नीचे दिये गए अनुसार बढ़ाया है;

"वह उम्मीदवार जिन्होने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम फिर से नहीं किया है, वे दिनांक 30.06.2021 तक कर सकते हैं और उनके ई- माइग्रन्ट सुविधा के बहाली हेतु आवेदन दे सकते हैं और उक्त की बहाली 10 दिन के भीतर कर दी जाएगी."

7.2 अनुच्छेद 11(e) अब ऐसे पढ़ा जाएगा-

"कोई भी अन्य समुद्रकर्मी जो गलत तरीके से प्राप्त प्रमाणपत्र निदेशालय को वापस करना चाहता हो, वह दिनांक 31 जून 2021 तक बिना किसी रोक का सामना करते हुए पाठ्यक्रम को फिर से कर सकता है. यह सुविधा 31.03.2021 के बाद गलत तरीके से प्राप्त प्रमाणपत्र वापस देने पर उपलब्ध नहीं होगी और इस दिनांक के पश्चात वापो(सीडीसी-सह-एसआईडी) नियम के अनुसरण में रोक लगाया जाएगा"

12/1/21

(अमिताभ कुमार)
नौवहन महानिदेशक एवं
अपर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी संबंधित को नौमनि वैबसाइट द्वारा